

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2015

आदेश

बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एम.एड./शिक्षा-आचार्य/बी.पी.एड. महाविद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
1.	शिक्षण शुल्क	17,880.00
2.	विविध शुल्क	4,440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क सिर्फ बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-व्यय का मदवार विवरण सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम रूप से निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
(A) कार्यालय व्यय		
1.	प्रवेश शुल्क	36.00
2.	कॉरान मनी	180.00
3.	प्रमाण-पत्र	24.00
4.	विकास शुल्क	840.00
5.	विजली-पानी	840.00
6.	परीक्षा	300.00
7.	विविध	60.00
योग		2280.00
(B) कार्यालय व्यय		
1.	खेलकूद	180.00
2.	पुस्तकालय	540.00
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180.00
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180.00
5.	शैक्षिक तकनीकी	360.00
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360.00
7.	विज्ञान शुल्क	100.00
8.	आकस्मिक व्यय	180.00
योग		2,160.00
महायोग (A+B)		4,440.00

वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा 2016-17 के लिए नवीन शुल्क निर्धारण किए जाने की स्थिति में वर्ष 2016-17 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर भी नवीन शुल्क लागू होगा।

Sd/-

(डॉ० रेनू बापना)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
12. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
13. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
16. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
17. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
18. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
19. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
20. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय,
21. कुलसचिव, डीम्ड विश्वविद्यालय,
22. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, मंथानी सिंह मार्ग, जयपुर।
23. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
24. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
25. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
26. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय।
27. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
28. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
29. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट:-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवायें तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2010-10 के लिए निर्धारित अन्तरिम शुल्क तथा सत्र 2016-17 के शुल्क के विषय में इस आदेश के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवायें)

F 224 (1) दिप्र/आकाश/2015/276 दिनांक 16.6.15 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा
प्रतिलिपि - वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत

निरपेक्ष
सं. नि. (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राज०